न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

मानसिंह पुत्र रामनाथ मीना आयु 47 साल जाति मीना निवासी गोरे हार ग्राम पंचायत कालागुडा तहसील सपोटरा जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 बाबत अपास्त करने के आदेश दिनांक 08.05.2019 आदेश क्रमांक रसद/अभियोजन 12019–20/154–161 जो जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित कर अपीलाण्ट का उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कालागुडा का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

उपस्थिति–1 श्री नवलकिशोर शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
2 श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा, प्रतिनिधि रेस्पोण्डेण्ट

निर्णय

दिनांक 07.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर दिनांक 22.01.2019 को पहुंचे जो बंद पायी जाने पर पुनः जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 24.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई जिसमें अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को पोश की पर्ची नहीं देना, दुकान समय पर नहीं खोलना, कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 5 क्विं. चीनी, 535.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आदेश अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दिनांक 08.05.2019 परवर्स आरविट्रेरी, रिकार्ड के विपरीत तथा विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 25.01.2019 को निलंबित किया गया था और विधि के अनुसार निलंबन के दिनांक से 90 दिवस की अवधि में अपीलाण्ट के प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक था अन्यथा 90 दिवस की समाप्ति पर अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र का निलंबन आदेश स्वतः अपास्त हो जाता है जबकि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र को निलम्बन दिनांक से 90 दिन के अन्दर निरस्त नही कर चार माह 13 दिवस पश्चात निरस्त किया गया है जो निरस्त आदेश पूर्णतया अवैध है और इसी आधार पर अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट के विरूद्ध 5 क्विंटल चीनी व 535.5 लीटर केरोसीन के दुरुपयोग का आरोप पूर्णतया मिथ्या है जो अपीलाण्ट के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किये बिना एवं रिकार्ड का गहन

जिला कलक्टर
करौली

अध्ययन व अवलोकन किये बिना और अपीलाण्ट की जवाबदेही पर गौर किये बिना निर्धारित किया गया है जबकि अपीलाण्ट के स्टॉक में कोई चीनी व केरोसीन कम नही था और अपीलाण्ट द्वारा उक्त सामग्री निलंबन के तत्काल बाद अटैच डीलर को स्टाक में सम्भलाई गई है जिसकी प्राप्ति रसीद अपीलाण्ट ने अटैच डीलर से प्राप्त की तथा अटैच डीलर द्वारा उक्त सामग्री अपीलाण्ट से संभाल लेना स्वयं रेस्पोण्डेण्ट ने स्वीकार किया है। ऐसी दशा में अपीलाण्ट द्वारा रसद सामग्री का दुरुपयोग करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है। मुताबिक रिकार्ड यह स्थिति स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 01.01.2018 से 24.01.2019 तक 10.50 क्विंटल चीनी का उठाव किया गया जिसमें से 5.07 क्विंटल चीनी का वितरण पोश मशीन द्वारा कर दिया गया व 5.43 क्विंटल चीनी स्टाक में मौजूद थी जो दिनांक 07.02.2019 को अटैच डीलर रघुनंदन सिंह को सम्हलवा दी गयी। इसी प्रकार माह सितम्बर 2016 से 01.01.2019 तक अपीलाण्ट द्वारा 9100 लीटर केरोसीन का उठाव किया गया और 185 लीटर केरोसीन पूर्व में स्टाक में था। इस प्रकार कुल 9285 लीटर केरोसीन का इस अवधि में उठाव हुआ जिसमें से दिनांक 27.01.2019 तक 8671.5 लीटर केरोसीन का वितरण पोश मशीन द्वारा कर दिया गया और शेष 613.5 लीटर केरोसीन स्टाक में मौजूद था जो दिनांक 07.02.2019 को अटैच डीलर को सम्हलवा दिया गया। इस प्रकार अपीलाण्ट के स्टॉक में चीनी व केरोसीन की कोई कमी नही थी और ना ही कोई दुरुपयोग किया गया किन्तु रेस्पोण्डेण्ट ने इस तथ्य की अनदेखी कर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पोश मशीन से वितरण की पर्ची नही दिये जाने एवं दुकान महीने में 4–5 दिन ही खोले जाने के आरोप अंकित करते हुए निर्धारित किये है कि उपभोक्ताओं से पूछताछ पर ऐसा बताया गया जो आरोप पूर्णतः गलत है। अपीलाण्ट के विरूद्ध ऐसी शिकायत किसी उपभोक्ता के द्वारा नही की गई। इसी कारण अपीलाण्ट को दिये गये नोटिस व निलंबन आदेश व निरस्तीकरण आदेश में किसी उपभोक्ता का नाम अंकित नही है जिससे स्पष्ट है कि आरोप निराधार है। उक्त तथ्यों की सत्यता इसी प्रकार है कि पोश मशीन से राशन सामग्री लेने की प्रक्रिया में उपभोक्ता अपने हाथ का अंगूठा या अंगुली पोश मशीन पर लगाकर अपनी पहचान दर्ज करता है और उसकी पहचान दर्ज होने पर पोश मशीन में लाईट जलने लगती है। यदि किसी तकनीकी कारण से मशीन से उपभोक्ता की पहचान नही हो तो उपभोक्ता के परिवार का कोई सदस्य जिसका नाम भामाशाह से जुडा हुआ है, अपनी पहचान दर्ज करवा कर रसद सामग्री ले सकता है। यदि तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान मशीन में दर्ज नहीं होती है तो भामाशाह में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से उपभोक्ता को ओ.टी.पी. आता है। इस ओ.टी.पी. को मशीन में दर्ज करके भी उपभोक्ता द्वारा राशन लिया जा सकता है और यदि उपभोक्ता के परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज नही है तो वह इसे ई–मित्र केन्द्र पर जाकर दर्ज करा सकता है ताकि उपभोक्ता को यह सुविधा मिल सके। इस व्यवस्था का परिणाम यह होता है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही उपभोक्ता को मैसेज मिल जाता है और राशन सामग्री लेने पर भी मैसेज प्राप्त होता है जिससे शेष राशन सामग्री का भी पता चल जाता है। राशन सामग्री लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी तत्काल मिल जाती है जिससे लेन–देन व उपलब्ध शेष राशन सामग्री की पूर्ण जानकारी उपभोक्ता को रहती है और उक्त प्रक्रिया के कारण उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजरी व अनियमितता किये जाने की कोई संभावना शेष नही रहती है। इस प्रक्रिया के तहत राशन कार्डो में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना भी आवश्यक नही है क्योंकि रसद सामग्री का वितरण आधार कार्ड से किये जाने के निर्देश है। उक्त वितरण प्रक्रिया से स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को पर्ची नहीं दिये

जिला कलक्टर
करौली

जाने का आरोप निराधार और नियमित दुकान ना खोले जाने का आरोप भी पूर्णतः असत्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 22.01.2019 को जांच हेतु अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर पहुंचे। दुकान बंद मिलने पर पुनः दिनांक 24.01.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने जांच उपभोक्ताओं ने बताया कि अपीलार्थी राशन डीलर महीने में 4–5 दिन ही दुकान खोलता है। पोस मशीन की पर्ची नहीं देता है। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 61 किलोग्राम चीनी एवं 163 लीटर केरोसीन पाया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट करने पर अपीलार्थी के पास दिनांक 01.01.19 को प्रारम्भिक स्टॉक 00 किलोग्राम चीनी व माह जनवरी 19 में आमद 10.5 क्विं. चीनी सहित कुल 10.5 क्विं. चीनी में से 4.89 क्विं. चीनी के वितरण के बाद 5.61 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी। इसी प्रकार दिनांक 01.09.16 से 24.01.2019 तक कुल आमद 9250 लीटर केरोसीन में से 8551.5 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 698.5 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था। इस प्रकार वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 5 क्विं. चीनी एवं 535.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया है जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। बाद में अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा स्टॉक ''बाद की सोच'' से पूर्ण कर अटैच डीलर को सुपुर्द कर दिया गया है लेकिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अटैच डीलर को स्टॉक संभलवाने बाबत् अपीलार्थी को आदेश ही नहीं दिये गये। अपीलार्थी द्वारा अटैच राशन डीलर को स्टॉक गलत संभलवाया गया है और इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर के पास अवशेष स्टॉक मौजूद था। दुकान के भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर ही अपीलार्थी की उपस्थिति में मौका पर्चा बनाया गया था जिसमें वक्त जांच उपलब्ध स्टॉक का अंकन किया गया था एवं अपीलार्थी राशन डीलर के उस पर हस्ताक्षर भी हैं। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 22.01.2019 को जांच करने पर दुकान का बंद पाया जाना, तत्पश्चात् दिनांक 24.01.2019 को जांच किये जाने पर दुकान का नियमित रूप से नही खोला जाना, उपभोक्ताओं को पोस मशीन की पर्ची(बिल) नहीं दिया जाना पाया गया। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर दिनांक 01.09.2016 से ऑडिट करने पर वक्त जांच अपीलार्थी के पास 5.61 क्विं. चीनी व 698.5 लीटर केरोसीन होना चाहिये था जबकि मौके पर अपीलार्थी की उपस्थिति में बनाये गये फर्द मौका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर होने से प्रमाणित है कि भौतिक सत्यापन करने पर 0. 61 क्विं. चीनी व 163 लीटर केरोसीन ही पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की दुकान पर स्टॉक में 5 क्विं. चीनी व 535.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। बाद में जिला रसद अधिकारी करौली का अटैच डीलर को शेष राशन सामग्री संभलाये जाने का आदेश ना होते हुए भी कम पाये स्टॉक की ''बाद की सोच'' से पूर्ति कर संभलाया जाना ही विदित होता है। अतः हम प्रतिनिधि प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर
करौली

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 08.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

7/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली